विशेष अनुरोध-पत्र

प्रेषक.

एन. सिंह सेंगर, समाजसेवी,

निवासः ताजपुर-विधूना, जनपद औरैया, उ. प्र.,

मोबाइल 7302757448

सेवा में,

अध्यक्ष.

लोक सेवा आयोग, कस्तरबा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद।

ई-मेल online.uppsc@nic.in, online.uppscald@nic.in, द्वारा प्रेवित

विषयःलोकसेवा आयोग उ.प्र.की भर्तियों में ई.डब्लू.एस. आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने हेतु महोदय

भारत सरकार ने सामान्य जाति के आर्थिक कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए 10% आरक्षण दिया है। जिसके अनुसार बिहार, राजस्थान आदि राज्यों की भर्तियों में E.W.S. के व्यक्तियों—महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा एवं शुल्क में छूट दी जाती है। परन्तु उ.प्र. लोक सेवा आयोग की भर्तियों में 10% आरक्षण प्राप्त आर्थिक कमजोर वर्ग E.W.S. के आवेदकों—महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं मिल रही है। जबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, राज्य—कर्मियों आदि को अधिकतम आयु सीमा में छूट लाभ दिया जा रहा है।

महोदय, जब देश के निर्धनों—दिरद्रों—असहायों और उनके प्रतिपाल्यों को देश—समाज के विकास की मुख्य धारा में लाए जाने हेतु देश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू है तथा लोकसेवा आयोग उ.प्र. के अतिरिक्त सभी राज्यों की सरकारें सरकारी नौकरियों की भर्तियों में आर्थिक कमजोर वर्ग (E.W.S.) के आवेदकों की आयु एवं शुल्क में छूट अन्य आरक्षित वर्गों— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित—जनजातियों, पिछड़ी जातियों के भाँति आरक्षण लाभ दिया जा रहा है। तो लोक सेवा आयोग उ. प्र. द्वारा सरकारी नौकरियों की भर्तियों में आर्थिक कमजोर वर्ग (E.W.S.) के आवेदकों को आयु एवं शुल्क में छूट क्यों नहीं दिया जा रहा है?

महोदय, लोक सेवा आयोग उ. प्र. की असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स आदि नौकरियों की भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट न दिए जाने के कारण आर्थिक कमजोर वर्ग (E.W.S.) के उच्चशिक्षित व्यक्ति महिलाएँ बुरी तरह हतोत्साहित होकर आवेदन—रोजगार पाने से वंचित हो रहे हैं। जो कि आरक्षण नियम के प्रतिकूल तथा 10% आर्थिक कमजोर वर्ग (E.W.S.) के आरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा है। जिस पर तत्काल जबाबदेह सुधार बिना 10% आर्थिक कमजोर वर्ग (E.W.S.) के व्यक्तियों—महिलाओं को आरक्षण का उचित लाम प्राप्त हो पाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि, उक्त तथ्यो पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर लोक सेवा आयोग उ.प्र. द्वारा जारी नौकरियों की भर्तियों में आरक्षण प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन—जाति, पिछड़ी जाति, राज्य कर्मियों आदि की अधिकतम आयु सीमा एवं शुल्क में छूट लाभ की भाँति 10% आर्थिक कमजोर वर्ग—E.W.S. के व्यक्तियों—महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा में छूट जनहित में अवश्य प्रदान करें। ताकि सरकारी नौकरियों के आवेदनों में 10% आर्थिक कमजोर वर्ग—E.W.S. को आरक्षण अनुरूप उचित लाभ प्राप्त हो सके। सधन्यवाद।

आदर सहित। दिनांक 11-01-2021 (एन सिंह सेंगर)

निवास-ताजपुर, विधूना, जनपद औरैया, उ.प्र.,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय ई-मेल पते से प्रेषित प्रतिलिपि

- 1. अध्यक्ष-निदेशक, मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली
- महामहिम राज्यपाल, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
- 3. मुख्य सन्निव, उ,प्र.शासन, लखनऊ।